उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, **2019**

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांक्ति आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अत: रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्द्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

1- अनुसूचित जाति
2- अनारक्षित
3- अन्य पिछड़ा वर्ग
4- अनारक्षित
5- अनुसूचित जाति
6- अनारक्षित
7- अन्य पिछड़ा वर्ग
8- अनारक्षित
9- अन्य पिछड़ा वर्ग
10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

http://shasanadesh.up.gov.in

11- अनुसूचित जाति

12- अनारक्षित

13- अन्य पिछड़ा वर्ग

14- अनारक्षित

15- अनुसूचित जाति

16- अनारक्षित

17- अन्य पिछड़ा वर्ग

18- अनारक्षित

19- अन्य पिछड़ा वर्ग

20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

21- अनुसूचित जाति

22- अनारक्षित

23- अन्य पिछड़ा वर्ग

24- अनारक्षित

25- अनुसूचित जाति

26- अनारक्षित

27- अन्य पिछड़ा वर्ग

28- अनारक्षित

29- अन्य पिछड़ा वर्ग

30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

31- अनुसूचित जाति

32- अनारक्षित

33- अन्य पिछड़ा वर्ग

34- अनारक्षित

35- अनुसूचित जाति

36- अनारक्षित

37- अन्य पिछड़ा वर्ग

38- अनारक्षित

39- अन्य पिछड़ा वर्ग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

69- अनुसूचित जाति

70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

71- अन्य पिछड़ा वर्ग

72- अनारक्षित

73- अनुसूचित जाति

74- अनारक्षित

75- अन्य पिछड़ा वर्ग

76- अनारक्षित

77- अन्य पिछड़ा वर्ग

78- अनारक्षित

79- अनुसूचित जाति

80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

81- अन्य पिछड़ा वर्ग

82- अनारक्षित

83- अनुसूचित जाति

84- अनारक्षित

85- अन्य पिछड़ा वर्ग

86- अनारक्षित

87- अन्य पिछड़ा वर्ग

88- अनारक्षित

89- अनुसूचित जाति

90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

91- अन्य पिछड़ा वर्ग

92- अनारक्षित

93- अनुसूचित जाति

94- अनारक्षित

95- अन्य पिछड़ा वर्ग

96- अनारक्षित

97- अनुसूचित जनजाति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

98- अनारक्षित

99- अनुसूचित जाति

100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।